

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नौडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-635 / Etawah-15415/UP-0133/2015, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 16, 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(कौठ),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेठ-एच, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : इटावा में ताखा तहसील मुख्यालय के निर्माण हेतु रुदीली वन ब्लाक की 1.00 हे० आरक्षित वनभूमि का बिना गूँझ पतन के गैर यानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/09/25/2015/एफसी/683, दि० 18.08.15 महोदय,

उपररोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा कतिपय सूचनाओं/अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु पूर्ण प्रेषित प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय को वापस की गई थीं। संशोधित प्रस्ताव सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित था।

मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर के पत्रांक-1492/14-1, दिनांक 16.09.15 द्वारा संशोधित/नवीन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसकी एक प्रति एतात्तह संलग्न कर सूचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:प्रस्ताव की एक प्रति।

भारतीय

(डा० राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नौडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 635 / , उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वन अनुभाग-2, लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 3- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक यानिकी प्रभाग, इटावा।
- 4- उय जिलाधिकारी, ताखा तहसील, इटावा।

(डा० राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नौडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।